राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–5/प्रकोष्ठ) विभाग

क्रमांक : 2(19)/का/क–5/खे.प्र./2024 जयपुर, दिनांक –

1. **समस्त अति. मुख्य सचिव/प्र. शासन सचिव/ शासन सचिव, वि. शासन सचिव**
2. **समस्त संभागीय आयुक्त**
3. **समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान**
4. **समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान**

विषय :–द्वितीय राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा कबड्डी (पुरुष) खेल–कूद प्रतियोगिता 2024–25 के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्मिक विभाग के तत्वाधान में जिला कलक्टर, जैसलमेर के माध्यम से **द्वितीय राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा कबड्डी (पुरुष) खेल–कूद प्रतियोगिता 2024–25** का जैसलमेर जिले में दिनांक 15.11.2024 से 17.11.2024 तक आयोजन कराया जाना विचाराधीन है।

कृपया प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम की सूचना दिनांक 15.10.2024 तक प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता जिला कलक्टर, जैसलमेर को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रतिभाशाली अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतियोगिता में व्यापक भागीदारी हो सके, इस हेतु कृपया समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का श्रम करावें।

संलग्न : दिशा–निर्देश

भवदीय

(नरेन्द्र कुमार बंसल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त प्रतियोगितायें के आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
2. उप निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र एवं संलग्न दिशा–निर्देशों को विभागीय वेबसाईट पर न्यूज बोर्ड पर अपलोड/डिस्प्ले कराने का श्रम करावें।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 9876461

2nd राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा कबड्डी (पुरुष) प्रतियोगिता हेतु दिशा–निर्देश

1. **प्रतियोगिता का नाम, अवधि तथा स्थान :–** इस प्रतियोगिता का नाम 2nd राजस्थान राज्य अन्तरजिला सिविल सेवा कबड्डी प्रतियोगिता2023–24 होगा। यह प्रतियोगितादिनांक 15.11.2024 से 17.11.2024 तक जैसलमेर जिले में आयोजित कराई जायेगी।

2. **प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के नाम :–** प्रत्येक खेल प्रतियोगिता में प्रत्येक जिले से एक–एक टीम तथा जयपुर मुख्यालय से एक–एक टीम भाग लेगी। भाग लेने वाली टीमों के नाम निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	टीम का नाम	क्र.स.	टीम का नाम
1.	अजमेर	27	दूदू
2.	केकड़ी	28	कोटपूतली
3.	ब्यावर	29	जैसलमेर
4.	डीडवाना	30	जालौर
5.	अलवर	31	झालावाड
6.	खैरथल	32	झुंझुनूं
7.	बांसवाडा	33	जोधपुर
8.	बाडमेर	34	जोधपुर (ग्रामीण)
9.	बालोतरा	35	फलौदी
10.	बारां	36	करौली
11.	भरतपुर	37	कोटा
12.	गंगापुर सिटी	38	नागौर
13.	डीग	39	पाली
14.	भीलवाडा	40	सांचौर
15.	शाहपुरा	41	राजसमंद
16.	बीकानेर	42	सवाईमाधोपुर
17.	अनूपगढ़	43	सीकर
18.	बूंदी	44	नीमकाथाना
19.	चित्तौडगढ	45	सिरोही
20.	चूरू	46	श्रीगंगानगर
21.	दौसा	47	टोंक
22.	धौलपुर	48	उदयपुर
23.	डूंगरपुर	49	सलूम्बर
24.	हनुमानगढ	50	प्रतापगढ़
25.	जयपुर	51	जयपुर मुख्यालय
26.	जयपुर (ग्रामीण)	–	-

3. **खेलवार खिलाड़ियों की संख्या :–**

क्र.स.	प्रतियोगिता का नाम	खिलाड़ियों की संख्या	खिलाड़ियों की कुल संख्या
1.	2nd Rajasthan State Inter District Civil Services Kabaddi (male) Tournament 2024-25	12 पुरूष सदस्य +1मैनेजर	13 x 51= 663
		कुल खिलाड़ी	663

4. **टीमों का फ्लेग एवं किट (खेल पोशाक) का रंग :–**
- जिले की टीमों को अपने जिले की टीम के ध्वज एवं निर्धारित किट (खेल पोशाक) के साथ ही प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जायेगा।
- खेल पोशाक पर टीम का नाम एवं टी–शर्ट/बनियान पर खेल नियमानुसार चेस्ट नम्बर अंकित होना आवश्यक है।
- सभी टीम के प्रतिभागियों को निर्धारिक किट (फुल ट्रेक सूट, नेकर एवं टी–शर्ट/बनियान) एवं फ्लेग आयोजनकर्ता (संबंधित जिला कलक्टर) के द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।

5. **प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता :–** राजकीय विभागों में नियमित रूप से नियुक्त सभी संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारी पात्र होंगे।

6. **प्रतियोगिता में भाग लेने की अपात्रता :–** निगमों/मण्डलों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, ठेका श्रमिक संविदा अधिकारी/कर्मचारी, कार्यप्रभारित अधिकारी/कर्मचारी, पुलिस विभाग के बैल्टधारी अधिकारी/कर्मचारी अपात्र होगें।

7. **<u>प्रतियोगिता का प्रचार–प्रसार</u> :–** संबंधित जिला कलक्टर/संबंधित विभागों द्वारा प्रचार–प्रसार किये जाने के लिए की गई कार्यवाही का पत्र/आदेश की प्रति संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भिजवाई जायेगी तथा समाचार पत्र/SMS/E-mail/whatsapp के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

8. **<u>टीम हेतु आवेदन की प्रकिया :–</u>**

- **जिलों की टीम के चयन हेतु :–** संबंधित जिला कलक्टर द्वारा अपने जिलें की टीम के चयन ट्रायल के लिए खिलाड़ी अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से निम्न प्रारूप में आमंत्रित करेंगे :–

क.सं	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल न.	Emp. ID/ e-mail id	DOB/DOJ

- **जयपुर मुख्यालय की टीम के चयन हेतु :–** जयपुर मुख्यालय (शासन सचिवालय, जयपुर एवं जयपुर स्थिति विभिन्न विभागों के प्रधान कार्यालयों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी) की टीम के चयन ट्रायल के लिए संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर खिलाड़ी अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी के माध्यम से निम्न प्रारूप में आमंत्रित करेंगे :–

क.सं	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल न.	Emp. ID/ e-mail id	DOB/DOJ

- विभाग द्वारा किसी खिलाडी अधिकारी/कर्मचारी को रिलीव नहीं करने का निर्धारित समय पर स्पष्ट कारण सहित पूर्ण सूचना भिजवानी होगी।
- यदि कर्मचारी/अधिकारी स्वंय विभागाध्यक्ष है, तो प्रशासनिक विभाग को भी प्रति भिजवानी होगी।
- प्रत्येक प्रतियोगी को अपने नियत्रंणाधीन अधिकारी से नवीन पासपोर्ट साईज के फोटो युक्त परिचय पत्र प्रमाणित करवाकर साथ लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतियोगी को प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- **आवेदन पत्रों का संकलन :–** संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा अपने जिले की टीम के चयन ट्रायल के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना खेलवार संकलित कर संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उक्त प्रारूप में भिजवाई जायेगी।
- **चयनित टीम की सूचना :–** संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा अपने जिले की टीम के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार उपस्थित खिलाड़ियों में से टीम का चयन कर सूचना निम्न प्रारूपानुसार प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता को भिजवाते हुये प्रतिलिपी संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भी भिजवाई जायेगी :–
  - ➢ प्रतियोगिता का नाम
  - ➢ टीम का नाम
  - ➢ खेल का नाम
  - ➢ चयन ट्रायल का स्थान
  - ➢ चयन किये जाने खिलाड़ियों की संख्या
  - ➢ चयनित खिलाड़ियों का विवरण निम्न प्रारूपानुसार
  - ➢ हस्ताक्षर चयनकर्ता (नाम मय पदनाम)

क.सं	खेल का नाम	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल न.	Emp. ID/ e-mail id	DOB/DOJ

- **रिजल्ट शीट :–** खेल में चयन हेतु तैयार की गई रिजल्ट शीट भी भेजी जावें।
- **परिचय पत्रः–** प्रत्येक प्रतियोगी को अपने नियत्रंणाधीन अधिकारी से नवीन पासपोर्ट साईज के फोटो युक्त परिचय पत्र प्रमाणित करवाकर साथ लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतियोगी को प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

9. **<u>प्रतियोगिता का प्रारूप :–</u>**

- प्रतियोगिता में किसी भी टीम के निर्धारित समय से 15 मिनिट पश्चात् तक भी प्रतियोगिता स्थल पर रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में उपस्थिति विपक्षी टीम को वॉकओवर देकर विजेता घोषित कर दिया जायेगा।
- यदि किसी प्रतियोगी को रैफरी के निर्णय पर कोई आपत्ति हो तो वह मैच समाप्त होने के आधा घण्टे के भीतर रू. 500/– जमा कराकर प्रोटेस्ट कर सकता है।
- प्रोटेस्ट पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- सभी खिलाड़ियों को खेल के दौरान अनुशासन का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा खेल सद्भावना एवं खेल भावना के साथ खेलना होगा।
- खेल के दौरान अनुशासनहीनता पर खिलाड़ी को प्रतियोगिता से रैफरी के द्वारा बाहर किया जा सकता है।
- अनुशासनहीनता की अपील बाद में आयोजन समिति को आधे घण्टे में करनी होगी, जिस पर आयोजन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- कर्मचारी/अधिकारी एक खेल में ही भाग ले सकेगें। दो खेलों में भाग लेने पर संबंधित टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जायेगा।

10. **<u>खेल के नियम :–</u>**

- प्रतियोगितायें **वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रीय स्तर के नियमों के आधार पर** आयोजित की जायेगी।
- प्रतियोगिता के दौरान रैफरी का निर्णय अंतिम होगा।
- सभी मैच **लीग कम नॉक आउट** आधार पर खेले जायेगें।
- प्रतियोगिता टीम स्पर्धा के रूप में आयोजित की जायेगी।

11. **<u>राज्य सरकार द्वारा देय सुविधा :–</u>** प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कार्मिकों को नियमानुसार विशेष आकस्मिक अवकाश (Sports) एवं टीए/डीए देय होगा।

12. **<u>प्रतियोगिता में तकनीकी सहयोग :–</u>**

- रैफरी को रू. 300/– प्रतिदिन की दर से मानदेय दिया जायेगा।
- प्रतियोगिताओं के सफल संचालन के लिए क्वालीफाईड रैफरी संबंधित स्थानीय संघ/शिक्षा विभाग से लिये जायेगें।
- आयोजनकर्ता के सहयोग हेतु खेल अधिकारी, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ऑब्जर्वर के रूप में उपस्थित रहेगें।

13. **<u>आयोजनकर्ता के कार्य :–</u>**

- उद्घाटन एवं समापन समारोह की व्यवस्था।
- प्रतियोगिता अवधि एवं समारोह के लिए टेंट/माईक आदि की व्यवस्था।
- प्रमाण–पत्र, पुरूस्कार (रनर एवं विनर) एंव स्मृति चिन्ह की व्यवस्था।
- प्रतियोगिता के संचालन, मैदान एवं खेल उपकरण की व्यवस्था।
- टीमों के आवास व्यवस्था आदि।
- अन्य आवश्यक व्यवस्था एवं कार्य।
- प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार का वाद–विवाद होने पर अंतिम निर्णय आयोजनकर्ता का होगा।
- प्रतियोगिता आयोजनकर्ता प्रतियोगिता की प्रगति रिपोर्ट मान. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें।

(नरेन्द्र कुमार बंसल)
संयुक्त शासन सचिव

Document certified by NARENDRA KUMAR BANSAL <nkbansal14775@yahoo.com>.

Digitally Signed by Narendra Kumar Bansal
Designation : Joint Secretary To Government
Date :20-08-2024 06:09:57

RajKaj Ref No.: 9876461